काले हिरणों के संरक्षित क्षेत्र झुंझुनूं बीड़ में आग लगी, वनस्पतियां जलकर खाक

बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम से कई छोटे वन्य प्राणी भी आग की चपेट में आये हैं

झुंझुनूं, (निसं)। कंजर्वेशन रिजर्व घोषित बीड़ वन क्षेत्र में रात को अचानक आग लगने से वन्य जीवों में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज उठ रही है कि वन विभाग की टीम काबू पाने में विफल होती रही और आग लगातार अपना आक्रामक रूप लेती जा रही थी, जिससे ना केवल सैंकड़ों की संख्या में बहुमूल्य वनस्पति आग से जलकर नष्ट हुई है, बल्कि बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम से कई छोटे वन्य प्राणी भी आग के हवाले हुए हैं।आग जिस क्षेत्र में लगी, उसी क्षेत्र को वन विभाग ने काले हिरणों की शरणस्थली के रूप में संरक्षित भी कर रखा है।

जानकारी के मुताबिक बीड़ वन क्षेत्र में मठ की तरफ अचानक किसी कारण से आग लग गई। धीरे-धीरे आग तेज होती गई और फिर भयंकर रूप धारण कर लिया। तब वन विभाग की टीम को सूचना मिली। टीम जब मौके पर पहुंची तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। टीम ने तीन अग्निशमन गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होने व वन विभाग के पास अपर्याप्त संसाधनों के कारण काबू पाने में विफल रही और देखते ही देखते करीब दो हेक्टेयर से अधिक संरक्षित क्षेत्र जल गया। तो वहीं काले हिरणों व चिंकारा के ऊपर खतरा मंडराने लगा और वन्यजीव जीव इधर-उधर भागने लगे, तो वहीं कई छोटे वन्य जीव आगजनी की चपेट में भी आ गए। हालांकि मध्यरात्रि तक करीब तीन घंटे बाद आग पर अग्निशमन के माध्यम से काबू पा लिया गया।

आग लगने से भारी मात्रा में वनस्पतियां जलकर राख हो गई।

- बीड़ वन क्षेत्र में मठ की तरफ अचानक किसी कारण से आग लग गई थी, वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची, तब आग बेकाबू हो चुकी थी

आग जिस क्षेत्र में लगी उसी क्षेत्र को वन विभाग कागजों में काले हिरणों की शरणस्थली के रूप में संरक्षित भी कर रखा है और इसमें सैंकड़ों की संख्या से अधिक हिरण विचरण करती रहती है, लेकिन आग की इस भयावहता को देखकर लग रहा था कि काले हिरण भी आग के चपेट में आ सकते हैं। इससे वन विभाग के जिम्मेदारों की यहां बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।

कंजर्वेशन रिजर्व घोषित बीड़ में लगी आग से झुंझुनूं रेंज वन विभाग के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही भी निकलकर सामने आई है। जिस वन क्षेत्र में आग लगी उस क्षेत्र को काले हिरणों की शरणस्थली के रूप में विकसित कर रखा है। यहां बीकानेर से सैकड़ों की संख्या में हिरणों को लाकर छोड़ा गया था। आग वाली घटना से करीब 500 मीटर दूरी पर ऊंचाई पर वन विभाग की चौकी भी स्थापित है और वहां रात में भी स्टाफ तैनात रहने व पैट्रोलिंग करने की बात कही जाती है, लेकिन घटना के समय जिम्मेदारों की ऐसी कोई तत्परता यहां दिखाई नहीं दी गई, जिसके कारण जब आग की लपटें आक्रामक रूप धारण कर चुकी थी तब जाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बड़ी संख्या में नुकसान हो चुका था।

25 साल से फरार अफीम डोडा-चूरा सप्लायर गिरफ्तार

आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था

पुलिस व डीएसटी टीम ने अफीम डोडा-चूरा सप्लायर बंशी उर्फ अमरसिंह को गिरफ्तार किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में 25 साल से फरार अफीम डोडा-चूरा सप्लायर बंशी उर्फ अमरसिंह उर्फ मच्छा बंजारा को पुलिस व डीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपित पर पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि 5 अक्टूबर 2000 को सब इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने मुखबिर सूचना पर उदा गुर्जर व रामदेव गुर्जर को 2 किलो 750 ग्राम अफीम व 14 किलो 500 ग्राम डोडा-चूरा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में उदा व रामदेव को 10 साल की सजा हो चुकी है।

पुलिस ने बताया कि इनमें से एक आरोपित की मौत हो चुकी है। उदा व रामदेव से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्हें यह डोडा-चूरा मध्यप्रदेश के नीमच जिले के बोरखेड़ा निवासी बंशी उर्फ अमर सिंह उर्फ मच्छा (60) पुत्र नाथू बंजारा ने सप्लाई किया था। उधर, बंशी के नहीं पकड़े जाने से उसे मफरूर घोषित कर दिया था। पुलिस अधीक्षक ने उक्त फरार आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। उधर, 25 साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बंशी उर्फ अमर सिंह को सुभाषनगर पुलिस व डीएसटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को थाना प्रभारी गुर्जर के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर डीएसटी महेंद्र कुमार, कांस्टेबल लोकेश कुमार व सतवीर के साथ ही ऋषिकेश और अमृत सिंह के विशेष योगदान से आरोपी पकड़ा गया।

ओवरब्रिज हादसे में छह जनों की मौत मामले में बीकानेर बंद रहा

मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिजन, दोपहर बाद बाजार खुले

बीकानेर, (निसं)। देशनोक ओवरब्रिज सड़क हादसे में 6 जनों की मौत के मामले में किसी भी मृतक परिजन को मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में सोमवार को बीकानेर मिला-जुला बंद रहा। बंद का असर शहर के मुख्य बाजारों और मुख्य मार्गों पर दोपहर बाद तक देखने को मिला। दोपहर दो बजे बाद दुकानें खुलनी शुरू हो गई। शाम तक बाजार में सामान्य स्थिति हो सकती है।

पिछले महीने देशनोक में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी, जिस पर प्रशासन ने मुआवजा देने की घोषणा की थी। इसके बाद भी अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके विरोध में पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण और मृतकों के परिजनों ने कलेक्ट्रेट के आगे धरना दिया लेकिन प्रशासन ने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। ऐसे में परिजनों ने बीकानेर बंद की घोषणा कर दी। बीकानेर के अलावा नोखा भी पूरी तरह बंद रहा और श्रीकोलायत में भी मुख्य बाजार बंद करवाया गया।

- परिजनों को प्रशासन ने मुआवजा देने की घोषणा की थी, अब तक नहीं मिला मुआवजा

बीकानेर कलेक्ट्रेट में एकत्र हुए ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने अलग-अलग रुट पर काम शुरू किया। केईएम रोड, कोटगेट, स्टेशन रोड, जस्सूसर गेट, तोलिया भैरुजी गली, जयनारायण व्यास नगर, खतुरिया कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में पहुंची टीमों ने बाजारों को पूरी तरह बंद करवाया। बीकानेर में दुकानदारों की धारणा थी कि 11 बजे तक दुकान खोल लेंगे लेकिन बंद समर्थकों ने टोलियां बनाकर हर समय नजर रखी। ऐसे में व्यापारी दोपहर दो बजे तक दुकान नहीं खोल पाये। इसके बाद सभी दुकान धीरे-धीरे खुलनी शुरू हो गई। इस दौरान कहीं किसी से कोई झड़प नहीं हुई। दुकानदारों ने बहुत सहजता के साथ अपनी दुकानें बंद कर दी। बंद में मिठाई और खाने की दुकानें भी बंद थी लेकिन इन पर ज्यादा जोर नहीं डाला गया। वहीं दवाओं की दुकानों को भी बंद से दूर रखा गया। स्कूल वाहनों को भी किसी ने आते-जाते नहीं रोका। स्कूलों में छुट्टी कराने का दबाव भी नहीं रखा गया।

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी फरार

शादी समारोह के दौरान रात में सोती बच्ची को उठा ले गया था

नोखा, (निसं)। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने रात को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना 19 अप्रैल की है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि वह अपने बच्चों के साथ रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में आई थी। रात को वह बच्चों के साथ सो रही थी। रात करीब चार बजे उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह जाग गई। पीड़िता ने बताया कि एक व्यक्ति सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए था। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसे गाय के छप्पर में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म किया और गला दबाने की कोशिश की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी सड़क पर खड़ी गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। पीड़िता ने आरोपी की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई है। घटनास्थल पर आरोपी के पैरों के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

- पुलिस मामले की जांच में जुटी

एडिशनल एसपी कैलाश सांधु ने बताया कि टेक्निकल व नॉन टेक्निकल तरीकों से हमारी टीम काम कर रही है अभी तक किसी प्रकार की कोई पुख्ता चीज हमें नहीं मिली। टीम लगी है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नही हुई है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हैड कांस्टेबल गिरफ्तार

सवाई माधोपुर, (निसं)। एसीबी की टीम ने दस हजार रुपए की रिश्वत लेते रवांजना डूंगर थाने के हैड कांस्टेबल रणजीत सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से रिश्वत की राशि भी बरामद की।

एसीबी के एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि रवांजना डूंगर थाने के हैड कानिस्टेबल रणजीत सिंह (40) द्वारा परिवादी के खिलाफ थाने में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने की ऐवज में दस हजार रुपए रिश्वत राशि की मांग की गई थी। शिकायत के सत्यापन में 20 अप्रैल को 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि मांग करना पाया गया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एसीबी टीम ने जाल बिछाया। 21 अप्रैल को रेलवे स्टेशन रवांजना डूंगर के पास स्थित चाय की थड़ी के सामने रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरप्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि बरामद की गई।

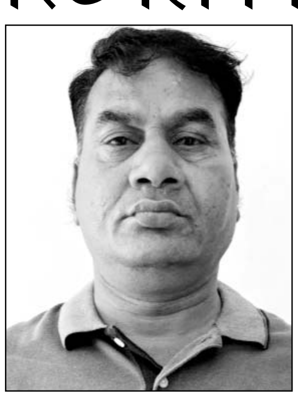

आरोपी हैड कांस्टेबल रणजीत सिंह।

एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को परिवादी से शिकायत प्राप्त हुई कि लगभग 15 दिन पूर्व मेरे व मेरे गांव के व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़े की रिपोर्ट मेरे खिलाफ पुलिस थाना रवांजना डूंगर में दी गई थी। इसकी जानकारी दो-तीन दिन पूर्व रवांजना

- थाने में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई थी

डूंगर थाने के पुलिसकर्मी रणजीत सिंह द्वारा परिवादी को दी और एससी/एसटी के प्रकरण में न फंसाने और मामले को रफा-दफा करने के बदले परिवादी व उसके साले से दस हजार रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी की शिकायत पर सवाई माधोपुर के एएसपी सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी हैड कांस्टेबल रणजीत सिंह थाना रवांजना डूंगर को परिवादी से दस हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम जांच की जाएगी।

कोटकासिम प्रधान ने कलेक्ट्रेट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पिटाई की

खैरथल, (निसं)। केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव सोमवार को खैरथल जिला सचिवालय पर आहूत हुई दिशा बैठक में पहुंचे। बैठक खत्म कर मंत्री कलेक्ट्रेट से बाहर भी नहीं निकले थे, कि बैठक से बाहर निकली कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने कलेक्ट्रेट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव की चप्पलों से पिटाई कर दी। अधिकारी व कर्मचारियों ने दौड़कर बचाव किया।

- अधिकारी की पिटाई होते देख अधिकारी व कर्मचारी दौड़े और बचाव किया
- महिला प्रधान की नाराजगी थी कि अधिकारी ने अभद्रता की है

दिशा बैठक में कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने अधिकारी के रवैये को लेकर नाराजगी जताई तो केंद्रीय मंत्री ने बैठक के बाद अलग से बात करने बात कहकर मामले को शांत कर दिया। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने महिला प्रधान व अधिकारी को बैठाकर पूरे मामले की जानकारी ली। जांच का आश्वासन देकर समझाइश की।

मंत्री व जिला कलेक्टर से वार्ता कर कमरे से बाहर निकले अधिकारी संजय यादव के पीछे-पीछे कमरे से बाहर निकली प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने कलेक्ट्रेट में ही अधिकारी की चप्पलों से पिटाई कर दी। अधिकारी की पिटाई होते देख अधिकारी कर्मचारी दौड़े और बचाव किया। महिला प्रधान की नाराजगी थी कि अधिकारी ने अभद्रता की है। मनमानी कर कर्मचारियों को हटाया है।

फरार इनामी अपराधी चेन्नई से गिरफ्तार

रानीवाड़ा, (नि.सं.)। चेन्नई में पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत लंबे समय से फरार अपराधी प्रकाश कुमार पुत्र मंगलाराम गिरफ्तार किया। प्रकाश, जो कालुपुरा राजीवनगर, सांचौर, जालोर का निवासी है, अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई में सक्रिय था। उसने अपने काकाई भाई सुरेश कुमार के साथ मिलकर चेन्नई में एमडी सप्लाई का काम शुरू किया था। सुरेश पहले स्टील रेलिंग का व्यवसाय करता था, लेकिन प्रकाश के साथ मिलकर उसने मादक पदार्थों के धंधे में कदम रखा।

मुखबिरी और तकनीकी आसूचना के गहन विश्लेषण के बाद, पुलिस ने चेन्नई में छापा मारकर प्रकाश को गिरफ्तार किया। वह जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था और उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस टीम ने अथक प्रयासों के बाद उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तारी के बाद प्रकाश से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

कार्यालय नगरपालिका टोडाभीम जिला-करौली (राज.)

क्रमांक / नपाटो / 2025-26 / 114 दिनांक:-17.04.2025

निविदा सूचना

पालिका टोडाभीम में कार्य की निविदा **NIB CODE- DLB2526A0467** यूबीएन नं. **DLB2526WSOB01885, WSOB01887, WSOB01888, WSOB01889, WSOB01890** आमंत्रित की गई है। उक्त निविदा सूचना एवं शर्तें राजस्थान लोक उपागम पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका टोडाभीम

राज.संवाद / सी / 25 / 976

कार्यालय नगरपालिका मण्डल राजलदेसर जिला चूरू (राज.)

E-mail id:- raj.churu.bika@gmail.com Phone number 01567-294504

क्रमांक:- न.पा.रा. / 2025-26 / 239 दिनांक:- 16.04.2025

Notice Inviting Bid

Bid for Annual Work is invited from interested bidders upto 25-04-2025, 03.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in)

NIB Code - DLB2526A0455

UBN Code - (DLB2526GSRC01842), (DLB2526GSRC01844), (DLB2526GSRC01851), (DLB2526SSRC01826), (DLB2526SSRC01830), (DLB2526SSRC01832), (DLB2526SSRC01833), (DLB2526SSRC01834), (DLB2526SSRC01837), (DLB2526SSRC01839), (DLB2526SSRC01841), (DLB2526SSRC01843)

राज.संवाद / सी / 25 / 983 अधिशाषी अधिकारी

ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के उपखंड क्षेत्र आसींद की दड़ावट पंचायत मुख्यालय के केरिया खेड़ा गांव के ग्रामीणजन पुरुष व महिलाएं एकत्रित होकर सोमवार दोपहर उपखंड कार्यालय पर पहुंचे। महिलाएं ज्ञापन देने गीत गाते हुए पहुंची और उपखंड अधिकारी भरत गुर्जर को ज्ञापन दिया गया।

- ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से दड़ावट पंचायत मुख्यालय पर ही रखे जाने की मांग की

उपखंड अधिकारी को दिये ज्ञापन में बताया कि नई पंचायत का पुनर्गठन किया जा रहा है और हमारे करियाखेड़ा गांव को रामपुरिया (नारड़ा) पंचायत में जोड़ा जा रहा है जो यहां से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दड़ावट पंचायत मात्र एक किलोमीटर दूरी पर ही है। हमें दड़ावट पंचायत मुख्यालय पर ही रखा जाए। गांव की 70 प्रतिशत आबादी भूमि दड़ावट पंचायत की सीमा पर स्थित है, इसलिए हमें दड़ावट पंचायत में ही रखा जाए नहीं तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

आईपीएल मैच पर सट्टे की खाईवाली के मामले में मास्टर माइंड गिरफ्तार

पुलिस ने कोलीवाड़ा उदयपुर के मास्टर माइंड अमित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की भीमगंज थाना पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टे की खाईवाली के मामले में मास्टरमाइंड उदयपुर के युवक को गिरफ्तार किया है।

भीमगंज थाना प्रभारी गजेंद्रसिंह राठौड़ के अनुसार, 25 मार्च को थाने के सहायक उप निरीक्षक सीताराम को डीएसटी से अवैध जुआ-सट्टा की सूचना मिली। सूचना पर रात 12.30 बजे पुलिस टीम ने पॉलीटैक्निक कॉलेज के पास तिलकनगर में सुनसान जगह से तीन लोगों को पकड़ा, जो एक स्कूटी पर जुआ -सट्टा चलाते दिखाई दिये। पुलिस ने घेरा डालकर तीनों को पकड़ा। इनमें सेक्टर आठ आरसी व्यास कॉलोनी निवासी योगेश (25) पुत्र देबीलाल धोबी, फ्लेट नंबर 201 मंगलम प्लाजा, भवानी नगर निवासी तरुण (35) पुत्र बाबूलाल समदानी व मूलतया: बांदनवाड़ा हाल विजयसिंह पथिकनगर निवासी वीरेंद्र सिंह (30) पुत्र भूपेंद्र सिंह राठौड़ शामिल थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान योगेश धोबी के पास 11 एंड्रायड मोबाइल फोन, 16 एटीएम कार्ड मिले। इसके साथ ही योगेश के पास 500, 200 और 100-100 के नोट सहित कुल 1 लाख 80 हजार रुपये मिले। वहीं तरुण के पास एक मोबाइल और 22 हजार रुपये, जबकि वीरेंद्र के पास एक मोबाइल और 40 हजार रुपये मिले। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे आईपीएल मैच के सीधे प्रसारण पर सट्टा लगाकार खाईवाली कर रहे हैं। तीनों आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि तरुण समदानी ने उदयपुर के अमित माली नामक युवक से मोबाइल पर लाइन ले रखी है। वहीं तरुण समदानी ने वीरेंद्र सिंह को, जबकि वीरेंद्र सिंह ने योगेश को लाइन दे रखी है। क्रिकेट मैच का सौदा भीलवाड़ा में काटा जाता है। लाभ होने पर पैसा अमित को दिया जाता है, जबकि हानि होने पर अमित से पैसे लेते हैं। आरोपियों ने कबूला कि उन्हें लाभांश का दो प्रतिशत कमिशन मिलता है। इस मामले में पुलिस ने कोलीवाड़ा उदयपुर के इस मास्टरमाइंड अमित पुत्र जीवनराम माली को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

सांभर में हुई चोरी की वारदात, चोरों का नहीं लगा सुराग

सांभरझील, (निसं)। यहां सिंघानिया मोहल्ला स्थित गुलाब जी गर्ग की हवेली में किराए के मकान से रहने वाले एक परिवार के यहां लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषणों व नगदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दंपती अपने बेटे से मिलने जयपुर गए हुए थे। सांभर में इतनी बड़ी चोरी का यह पहला मामला बताया जा रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि चोरी की घटना का राजफाश तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं कर पाई है, यद्यपि पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना स्थल से कुछ फोटोग्राफ भी उठाए हैं, पुलिस के अनुसार घटना से कुछ संकेत जो प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार उम्मीद है कि शीघ्र ही घटना का खुलासा हो जाएगा। पीड़ित विनोद तालु के बेटे संदीप ने सांभर थाने में चोरी की घटना का मामला दर्ज करवाया है।

बताया गया कि चोरों ने मौके पर पेचकस, हथोड़ा और एक थेला वहीं पर छोड़ दिया है, जिसे पुलिस जांच के लिए अपने साथ ले गई है।

हादसे में युवक गंभीर घायल

राजगढ़, (निसं)। कस्बे के मांचाड़ी चौक गेट के समीप घर के बाहर स्कूटी पर बैठे युवक राहुल अग्रवाल को रविवार रात्रि कार चालक ने लापरवाही से टक्कर मार दी।

दुर्घटना के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना पर आसपास के क्षेत्र के लोग मौके पर जमा हो गए। हादसा टलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश पोल के बाहर निवासी धर्मेंद्र अग्रवाल ने पुलिस को बताया की उसका भाई राहुल उसकी स्कूटी पर रविवार रात्रि करीब दस बजे बैठा हुआ था।

इस समय अचानक माचाड़ी की ओर से आ रही बोलेरो वाहन के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से स्कूटी पर बैठे राहुल को टक्कर मार दी। इससे उसका भाई राहुल दूर जाकर चबूतरे पर गिर गया एवं पास में खड़े एवं बच्चों को भी चोट आई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं सीसीटीवी फुटेज से तथ्य जुटाई। किधर सोमवार प्रात: बोलेरो वाहन मालिक एवंआठ-दस लोगों ने आकर राहुल अग्रवाल के घर में झगड़ा-फसाद के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। इन लोगों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने एवं जान से मारने की धमकी दी है।

Office of the Executive Engineer, PHED, Distt Rural Div I Bikaner

Email ID - eepheddn1bkn@gmail.com, Contact No. 0151-2941473

No. 47-66 **Notice Inviting Bid : 01-09/2025-26** Date: 09/04/25

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 22.04.2025 upto 02.00 PM. Other particulars of bid may be visited on the Procurement Portal http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 304.12 Lacs.

UBN No. PHE2526WSRC00614, PHE2526WSRC00616, PHE2526WSRC00617, PHE2526WSRC00621, PHE2526WSRC00622, PHE2526WSRC00624, PHE2526WSRC00625, PHE2526WSRC00626, PHE2526WSRC00627

जल सीमित है, इसकी बचत करें।

(Rajiv Dutta)
Executive Engineer
PHED, Distt (R) Div I Bikaner

DIPR/C/5093/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग, खण्ड धौलपुर

मचकुण्ड चौराहा जी0टी0रोड धौलपुर फोन नं0 05642-220720

क्रमांक-143-150 ई-मेल ee.dho.phed@rajasthan.gov.in दिनांक-11.04.2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड के अधीन विभिन्न कार्यों की उपरोक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्न यू.वी.एन. के अनुसार www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rajwater. gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउन लोड भी किये जा सकतें है।

एन.आई.वी.नं.	PHE2526A0357
यू.वी.एन.	PHE2526WSO800895, PHE2526WSO800896, PHE2526WSO800897
	PHE2526WSO800898, PHE2526WSO800899

(आशाराम मीणा) अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा0 अभि0 विभाग, खण्ड धौलपुर

DIPR/C/5209/2025

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli

No. 105 Date:- 11/04/2025

NOTICE INVITING BID

NIB No 01/2025-26

Bids for MPT, Percolation tank, anicut, pakka checkdam work Project MJSA 2.0 Phase 1 Block - Shri Mahaveerji of estimated value INR 168.73 Lacs [02 Package] are invited from interested bidders up to 06.00 PM, 22-04-2025, Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in/) of the state, departmental website.

NIB CODE:- WSC 2526 A0035.
UBN NO-WSC2526WSRC00046.
UBN NO-WSC 2526WSRC00047.

Superitending Engineer
and Project Manger
WCDC Zila Parishad Karauli

DIPR/C/5290/2025